



ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या: RBI/Kolkata Regional Office/Issue/2/25-26/ET/855 [सिक्कों की थैलों और नोटबॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति]

- भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता ने "सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति" के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक वैध रहेगा। विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की साइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> और बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।
- सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:

ई-निविदा अनुसूची	निर्धारित तिथि
पक्षकारों के लिए एनआईटी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तिथि	18.01.2026 से 08.02.2026 तक
ई-निविदा शुरू होने की तिथि (बोली प्रारंभ तिथि)	09.02.2026 10:00 बजे से
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	09.02.2026 को 15:00 बजे
एनईएफटी/बीजी के माध्यम से ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2026 13:00 बजे तक
ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (बोली बंद होने की तिथि)	19.02.2026 13:00 बजे तक
भाग- I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	19.02.2026 को 16:00 बजे
भाग- II के खुलने की तिथि और समय (मूल्य बोली)	अलग से सूचित किया जाएगा।

- बैंक किसी भी या सभी ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 18 जनवरी, 2026

क्षेत्रीय निदेशक



**भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India
निर्गम विभाग / Issue Department
कोलकाता / Kolkata**

**सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति
के लिए ई-निविदा**

ई-टेंडर सं. RBI/Kolkata Regional Office/Issue/2/25-26/ET/855

**(भाग I)
(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)**

निविदाकर्ता का नाम : _____

पता : _____



अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित), निर्गम विभाग, कोलकाता ने इच्छुक पक्षकारों को संविदा संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, वहीं न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित नहीं करते हैं जो इसके सहयोग से प्रदान किया गया।

इस दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षकारों को काम की जानकारी प्रदान करना है। यह बोली दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए इस दस्तावेज को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है। इस दस्तावेज में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

बैंक या उसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, क्रानून नियमों या विनियमों या अपकृत्य, क्षतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, जो इस दस्तावेज में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या हो सकता है या पीड़ित हो सकता है, बोली की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और उसमें निहित किसी भी मूल्यांकन, धारणा या जानकारी को शामिल करना या इस दस्तावेज का हिस्सा माना जाता है।

जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और



उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे ई-निविदा जमा करने में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता/वेंडर जो इस दस्तावेज में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें निर्देशित विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे भाग लेने के पात्र हैं।

बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विचास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित निविदा की अनुसूची को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष/बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

बैंक अपने विवेक पर, सफल निविदाकर्ता को एक या अधिक, या काम की सभी वस्तुओं को सौंप सकता है, जिसके लिए दरों की मांग की जाती है। सुरक्षित कंटेनरों की आपूर्ति के लिए करार/अनुबंध दर अनुबंध के रूप में होता है। बैंक अनुबंध के तहत न तो किसी विशिष्ट मात्रा में नौकरी का वादा करता है और न ही आश्वासन देता है। बैंक किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को किसी को भी प्रकट करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगा।

रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी में जारी नोटिस में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण में उल्लिखित विवरण मान्य होगा।



क्र. सं.	भाग-। (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)
1.	निविदा की अनुसूची
2.	ई-निविदा प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश
3.	खंड I - निविदा का प्रारूप
4.	खंड II - कार्य का दायरा
5.	खंड III - सामान्य नियम और शर्तें
6.	खंड IV - निविदा प्रपत्र
7.	अनुसूची ए - अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए जांचसूची
8.	अनुसूची बी - संगठनात्मक विवरण
09.	अनुसूची सी - पंजीकरण विवरण
10.	अनुसूची डी- ग्राहकों की सूची
11.	अनुसूची ई - बैंकर (बैंकरों) का विवरण
12.	अनुलग्नक I - ई- भुगतान के लिए आरबीआई, कोलकाता का एनईएफटी विवरण-
13.	अनुलग्नक II - पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
14.	अनुलग्नक III
15.	अनुलग्नक IV - करार की शर्तों का मसौदा
16.	अनुलग्नक V: ईएमडी के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप
17.	भाग-॥ (मूल्य बोली)
18.	खंड V- निषिद्ध प्रथाएं



निविदा की अनुसूची (एसओटी)

ए.	ई-निविदा संख्या	RBI/Kolkata Regional Office/Issue/2/25-26/ET/855 [सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति]
बी.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से मूल्य बोली)
सी.	अनुमानित लागत	दो वर्षों में ₹1.61 करोड़ (एक करोड़ इक्सठ लाख रुपये मात्र)। वास्तविक लागत आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
डी.	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। www.mstcecommerce.com/eprocn	18.01.2026 से 08.02.2026 तक
ई.	देखने के लिए निविदा उपलब्ध होने की अंतिम तिथि	08.02.2026
एफ.	ई-निविदा शुरू होने की तिथि (बोली प्रारंभ तिथि)	09.02.2026 को 10:00 बजे से
जी.	पात्र बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक	09.02.2026 को 15:00 बजे, बोली-पूर्व बैठक का स्थान: 4थी मंजिल, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता अस्वीकरण: बोली-पूर्व बैठक में केवल भागीदारी संविदा प्रदान करने की गारंटी नहीं देगी और यह निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।
एच.	पात्र बोलीदाताओं द्वारा निविदा (भाग-I और भाग-II) जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2026 को 13:00 बजे
आई.	भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	19.02.2026 को 16:00 बजे



जे.	भाग- II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि और समय	पात्र बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा
के.	बयाना जमा-राशि	₹3,22,000/- (1) एनईएफटी के माध्यम से (हमारे खाता संख्या 186003001 में, जिसका नाम है - आरबीआई कोलकाता) और आईएफएससी - RBISOKLPA01 (कोड में '0' शून्य को दर्शाता है) या (2) अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी। (3) ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19.02.2026 को 13:00 बजे या उससे पहले है (4) इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण ईमेल आईडी पर भेजें: idkolkata@rbi.org.in
एल.	लेन-देन शुल्क (वेंडर द्वारा ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी को अलग से भुगतान और जमा किया जाना है)	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैर्सर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

अ. निविदा दस्तावेज www.mstcecommerce.com और www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आ. ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।


इ. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन (संशोधन), शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।



- ई. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता जो हर तरह से निविदा दस्तावेज के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- उ. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के पाठ में कोई परिवर्तन, मिटाने या मिटाने का कारण नहीं बनेगा।



ई-निविदा प्रक्रिया

	<p>सिस्टम आवश्यकताएँ: -</p> <p>i) विस्तृत मैनुअल लिंक MSTC ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) >सिस्टम सेटिंग्स -> डाउनलोड गाइड/एज सेटिंग (एज ब्राउज़र के लिए) में उपलब्ध है ई-टेंडर में भाग लेने के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए।</p> <p>ii) अधिक जानकारी के लिए, वेंडर संदर्भित कर सकता है अधिक जानकारी के लिए, वेंडर एमएसटीसी ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर उपलब्ध वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख कर सकता है</p> 
2.	<p>पंजीकरण: -</p> <p>i. इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं।</p> <p>ii. वेंडर को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। →आरबीआई पर क्लिक करें →वेंडर के रूप में पंजीकरण करें, विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं→ सबमिट करें।</p> <p>iii. वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा उनका ई-मेल जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।</p>



लेन-देन शुल्क

3. लेन-देन शुल्क
- i) वेंडर को वेंडर लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - ii) वेंडर को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा।
 - iii) वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी।
 - iv) एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। वेंडर में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा।
 - v) ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।
 - vi) एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।
- नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें ताकि खुद को जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके बोली।

ई-निविदा में बोली:

4. ई-निविदा में बोली:
- i) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी जमा करने की आवश्यकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
 - ii) केवल वे बोलीदाता जिन्होंने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभागों→आरबीआई वेंडर लॉगिन →माई मेनू→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन→ टेक्नो कमर्शियल बिड → www.mstcecommerce.com एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।
 - iii) बोलीदाता को जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके 'enApple' नामक एप्लिकेशन



	<p>चलाने की अनुमति देनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली पर क्लिक करने के तुरंत बाद यह कवायद दो बार करनी होती है। यदि यह आवेदन नहीं चलता है तो बोलीदाता अपनी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>iv) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोली लगाने वाले को क्लिक करना चाहिए उनकी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें"। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक कर सकता है।</p> <p>नोट: - बोलीदाता द्वारा "अंतिम सबमिशन" बटन पर एक बार क्लिक कर दिया गया है तो तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली को एक बार संशोधित नहीं किया जा सकता है।</p>
5.	<p>बोलियां को खोलना</p> <p>अ) भाग-। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली के इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन को देख सकते हैं।</p> <p>आ) भाग-॥ मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं से इलैक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-। तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-॥ मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।</p> <p>नोट: चूंकि आम तौर पर कोई बातचीत नहीं होती है, इसलिए निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मूल्य बोली प्रस्तुत करते समय अपने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्तुत करें। हालांकि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर यदि यह कार्य अभी भी उच्च माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>



6.	<p>आगे की पूछताछ/सहायता के लिए संपर्क विवरण (एमएसटीसी):</p> <p>एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर के लिए) - फोन नंबर :07969066600 helpdesk@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)</p> <p>उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।</p> <p>श्री सब्यसाची मुखर्जी - 7278030407</p> <p>ईमेल आईडी: smukherjee@mstcindia.co.in</p> <p>श्री क्रांति कुमार – 9174009882 ईमेल आईडी: kkumar@mstcindia.co.in</p> <p>एमएसटीसी हेल्प लाइन: 9499054101/2/3/4</p> <p>ईमेल आईडी : helpdesk@mstcindia.co.in</p> <p>संपर्क व्यक्ति: आरबीआई, निर्गम विभाग, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय:</p> <table border="1"><thead><tr><th>नाम और पदनाम</th><th>ईमेल आईडी</th><th>मोबाइल</th></tr></thead><tbody><tr><td>श्री अंकुर हांडिक, एजीएम</td><td>ankurhandique@rbi.org.in</td><td>7086159321</td></tr><tr><td>सुश्री सुकन्या हजारिका प्रबंधक</td><td>sukanyahazarika@rbi.org.in</td><td>8088644453</td></tr><tr><td>श्री रोहित धमनस्कर सहायक प्रबंधक</td><td>rpdhamanaskar@rbi.org.in</td><td>9664555224</td></tr><tr><td>श्री अश्विन वाल्के, सहायक प्रबंधक</td><td>ashwinwalke@rbi.org.in</td><td>8275837038</td></tr></tbody></table>	नाम और पदनाम	ईमेल आईडी	मोबाइल	श्री अंकुर हांडिक, एजीएम	ankurhandique@rbi.org.in	7086159321	सुश्री सुकन्या हजारिका प्रबंधक	sukanyahazarika@rbi.org.in	8088644453	श्री रोहित धमनस्कर सहायक प्रबंधक	rpdhamanaskar@rbi.org.in	9664555224	श्री अश्विन वाल्के, सहायक प्रबंधक	ashwinwalke@rbi.org.in	8275837038
नाम और पदनाम	ईमेल आईडी	मोबाइल														
श्री अंकुर हांडिक, एजीएम	ankurhandique@rbi.org.in	7086159321														
सुश्री सुकन्या हजारिका प्रबंधक	sukanyahazarika@rbi.org.in	8088644453														
श्री रोहित धमनस्कर सहायक प्रबंधक	rpdhamanaskar@rbi.org.in	9664555224														
श्री अश्विन वाल्के, सहायक प्रबंधक	ashwinwalke@rbi.org.in	8275837038														



ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

- 1) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें।
- 2) मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।
- 3) वेंडर के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- 4) लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।
- 5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेंडर गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पेज में वीडियो देखें।
- 6) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी प्रदान की गई है और एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
- 7) इस एनआईटी को शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (ओं) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट <www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> देखें।
- 8) एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
- 9) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- 10) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 11) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।



- 12) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
- 13) वेंडर को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ पुस्तकालय में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।
- 14) बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
- 15) भारतीय रिजर्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो।
- 16) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- 17) ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता जमा करने के बाद निविदा तक नहीं पहुंच सकता है।
- 18) ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 19) बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
- 20) बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

स्थान _____

तारीख _____



खंड । निविदा का प्रारूप

दिनांक:

स्थान:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
15, एनएस रोड
कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

सिक्के के थैलों और नोट बक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

मैं/हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य और सेवाओं के दायरे की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिससे निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की गई है। मैं/हम एतद्वारा कार्य के दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार कार्य के दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों और निविदाकर्ताओं को निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों और ऐसी अन्य सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं जो प्रदान किए गए हैं, और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

क्र. सं.	विवरण	निविदा का विवरण
1	कार्यों का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक के कोलकाता या भारत सरकार के टकसाल, कोलकाता या रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों या भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता के परिसरों में सिक्कों के थैलों/करेंसी नोट बक्सों और विविध आकस्मिक वस्तुओं के लोडिंग, अनलोडिंग, तौलने, कार्टिंग और स्टैकिंग सहित करेंसी नोट बॉक्स और सिक्का की थैलियों को संभालने के लिए पर्याप्त



		संख्या में वयस्क और सक्षम मजदूरों/मजदरों की आपूर्ति।
2	संविदा अवधि	1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028
3	अनुमानित लागत/व्यय जो संविदा अवधि के दौरान आरबीआई, कोलकाता द्वारा वहन किया जा सकता है	₹ 1,61,00,000/- मात्र यह राशि केवल सांकेतिक है और आरबीआई कोलकाता इस ज्ञापन में उल्लिखित अनुमानित लागत/व्यय के बराबर या उससे अधिक व्यय करने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है।
4	अग्रिम जमा-राशि (ईएमडी)	₹ 3,22,000/- (रुपये तीन लाख बाईस हजार मात्र)
5	भुगतान का तरीका	एनईएफटी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी।
6	संविदा का विस्तार	भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता द्वारा मूल संविदा करार के निबंधन और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संतोषजनक प्रदर्शन के अध्यधीन अपने विवेक पर एक वर्ष की और अवधि के लिए संविदा को बढ़ाया जा सकता है।

2. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिस पर बैंक और मैं/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयान राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारी, या कार्यालय में असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो निविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
4. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों के रूप में मानेंगे और उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी/उससे प्राप्त जानकारी का संचार नहीं करेंगे, जिसे मैं/हम इसे संप्रेषित करने के लिए अधिकृत



हैं या भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे।

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

6. निविदा निर्धारित समय के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

.....2026 का दिन

कृते और उसकी ओर से मैसर्स _____

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

गवाहों

i) नाम के साथ हस्ताक्षर _____

पता और तारीख _____

ii) नाम के साथ हस्ताक्षर _____



पता और तारीख _____



खंड ॥

कार्य का दायरा

निविदाकर्ता पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम मजदूरों / मजदूरों की आपूर्ति करेगा, जैसा कि मांग में निर्दिष्ट है:

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता/भारत सरकार टकसाल, कोलकाता या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में काम की विविध आकस्मिक वस्तुओं के लिए बैग में पैक किए गए सिक्कों को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग, ढेर लगाना।
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों के परिसर या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में पूर्ण या खाली नोटबक्सों को लोड करने, उतारने, ढेर करने के लिए।

पात्रता:

निविदाकर्ता एक प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार होना चाहिए:

- i. बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत के समान प्रकार की सेवाओं का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने यानी 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला) होना चाहिए। बैंक/प्रतिष्ठित संगठन। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह के कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना चाहिए (इसी तरह के कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/संविदा के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य)।
 - अ) तीन समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या
 - आ) दो समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या



- इ) एक समान पूर्ण सेवा की लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है।
- iii. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा विधिवत समर्थित।
- iv. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य। निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- v. ठेकेदार के पास सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस होना चाहिए जैसा कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और ठेका श्रम (विनियम और उत्सरण) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया है।
- vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।
- vii. संविदा के सफल पुरस्कार के मामले में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा।
- viii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

प्रारंभ/नवीनीकरण:

- i. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
- ii. संविदा एक बार में दो साल के लिए वैध होगा (यानी 01 अप्रैल 2026- 31 मार्च 2028) जिसे बैंक द्वारा



अपनी राय से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन। इसके बाद उक्त सेवा के लिए नई निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।

- iii. जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो अनुबंध के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।
- iv. यदि 01 अप्रैल 2028 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नए अनुबंध को किसी भी कारण से अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो ठेकेदार को महाप्रबंधक, निर्गम विभाग द्वारा समझौते की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक की अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है।

बयाना जमा-राशि:

निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत का ईएमडी सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाएगा।

प्रदर्शन बैंक गारंटी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेके की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर संविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए संविदा की मुद्रा की पूरी अवधि के लिए वैध ठेकेदार से प्राप्त की जाएगी। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को वितरित करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी लागू किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार



को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

- I. ठेकेदार, संविदा अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, कई सक्षम मजदूर /सिक्कों की थैलियों और नोटपेटियों को संभालने के लिए और निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में काम की विविध आकस्मिक मदों के लिए भी आवश्यक श्रमिक, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाए।
- II. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य व्यावसायिक घंटों या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा कानून/प्रावधान से अधिक काम करने की आवश्यकता हो।
- III. अत्यावश्यक अवसरों/मामलों में ठेकेदार को तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करना होगा। किसी भी अवसर/मामले के तत्काल होने के संबंध में निर्णय बैंक के पास होगा और यह इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस तरह के नोटिस को सूचित किया है और इसे तत्काल के रूप में पहचाना है। ठेकेदार इसका अनुपालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। सिक्कों के थैलों और नोट बक्से की लोडिंग और अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र यानी सुरक्षा-यार्ड में या पुलिस एस्कॉर्ट की उपस्थिति में की जाएगी।
- IV. ठेकेदार संविदा को आगे नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और पीबीजी को जब्त कर सकता है।
- V. ठेकेदार किसी भी दोष या नुकसान के कारण बैंक को किसी भी नुकसान या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा, जो कि ठेकेदार द्वारा मज़दरों की अक्षमता/गतिविधि या अपर्याप्त मज़दरों की तैनाती के कारण हुआ है या किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या वजन, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, कार्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ले जाने और वितरित करने में देरी के कारण या उसकी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के कारण



हुआ है या ठेकेदार द्वारा लगाए गए मज़दूर या अन्य कर्मियों की ओर से।

- VI. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी मज़दूर की सेवाएं न लेने का निर्देश दे जो उपरोक्त कार्यों को पूरा करने में अक्षम और/या लापरवाह हो। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी ऐसे श्रमिकों/मज़दूरों की सेवाओं को बंद करने का निर्देश दे जो बैंक में उपरोक्त कार्यों को करते समय या अन्यथा किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, ठेकेदार बैंक में उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे श्रमिकों/मज़दूरों की सेवाओं को तुरंत बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के गैर-अनुपालन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगा सकता है। निरंतर गैर-अनुपालन या बार-बार पुनरावृत्ति के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।
- VII. ठेकेदार संविदा के संबंध में उसके द्वारा लगाए गए मज़दूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर लेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जीवित रखा जाए। महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग को ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर कवर की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए उसका सत्यापन, जांच या जांच करने का अधिकार होगा। यदि महाप्रबंधक। उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग यह निर्धारित करता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए कर्मचारियों/मज़दूरों को अनुबंध कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिम के संबंध में उजागर किया जाता है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि के साथ-साथ मौजूदा बीमा पॉलिसी में कवर नहीं किए गए जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा ताकि अपर्याप्तता को पूरा किया जा सके महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर बैंक अतिरिक्त राशि और। या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों की वसूली ठेकेदार से करेगा।
- VIII. ठेकेदार एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें मज़दूर के नाम, पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम शामिल होंगे जो अनुबंध देने के संबंध में बैंक से पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद इस समझौते के विषय के कार्य को पूरा करने से जुड़े होंगे। ठेकेदार उपरोक्त निर्दिष्ट मज़दूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य



कर्मचारियों/अधिकारियों के फोटोग्राफ, आवासीय पते, स्थायी पते और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अनुबंध शुरू होने से पहले पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित सभी मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों के अधिकारियों के पूर्ववृत्त और चरित्र को प्राप्त करेगा।

- IX. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/गतिविधियां उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कर्मकार की तरह की जाती हैं। नोटबॉक्स और सिक्का बैग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना संपूर्ण कार्य/गतिविधियां की जानी चाहिए।
- X. इस समझौते के तहत कार्य के निर्वहन के लिए नियोजित ठेका श्रमिकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति को चिह्नित करने के लिए रिकॉर्ड/मस्टर का रखरखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और इस तरह के रिकॉर्ड/मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में होंगे।
- XI. ठेकेदार इस संविदा के दौरान हर समय ठेका श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा और छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करेगा। ठेकेदार उन सभी मजदूरों और अन्य कर्मियों को फोटो पहचान पत्र भी जारी करेगा जो इस समझौते के विषय के कार्य के निर्वहन से जुड़े हो सकते हैं।

भुगतान और कर:

- i. बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- ii. ठेकेदार को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा। उद्धृत कीमतों में सभी कर, शुल्क, स्थानीय शुल्क, कार्य अनुबंध कर या कोई अन्य कर शामिल होंगे, जो केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा दरों पर लगाए गए हैं, लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं होंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए



किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- iv. संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य रकम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली देय राशि से काट लिया जाएगा। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।
- v. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या यहां कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/सीजीएम (ओ-आई-सी), भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता/समाप्ति/जुर्माना:

- i. यदि कोई निविदाकर्ता निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रचार करने का प्रयास करता है या अनुबंधों की जांच, तुलना, मूल्यांकन और पुरस्कार पर बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर दुष्कर्म के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी।
- ii. किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।
- iii. मजदूर / मजदूर की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में ठेकेदार द्वारा किसी भी देरी या संविदा के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता द्वारा माना जाता है कि जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी डीजीएम-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/सीजीएम (ओ-आई-सी) के परामर्श से जुर्माना लगा सकते हैं ठेकेदार पर प्रति इंस्टेंस 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र)।
- iv. उन सभी मामलों में जहां ठेकेदार पर कुल अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया



है, दो साल की प्रारंभिक अवधि से आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

कानूनों का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

- i. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात्, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए
- ii. ठेकेदार अन्य सभी सांविधिक भुगतानों का भुगतान करने के अलावा केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अपने तैनात कर्मचारियों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेचुटी का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।
- iii. कामगार/ श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों/श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई अधिनियम, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, ठेकेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए पीएफ योगदान करने के लिए एक वैध पीएफ खाता होगा। किसी भी सांविधिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसे बिल से काट लिया जाएगा। ठेकेदार प्रचलित कानून के अनुसार अद्यतन सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखेगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।



- iv. ठेकेदार बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।
- v. मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के खिलाफ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते को क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान का संकेत देने वाले बैंक विवरण जमा किए जा सकते हैं।
- vi. प्रधान नियोक्ता यानी बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों को उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो लागू किसी भी कानून के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक या चूक करने के लिए, ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में ठेकेदार से वसूल की जा सकती है।
- vii. ठेकेदार किसी भी मजदूर या संविदा के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- viii. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- ix. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।



गैर-प्रकटीकरण खंडः

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हजाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

कर्मकार सुरक्षा और बीमा

- ए. ठेकेदार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं
- बी. ठेकेदार अपनी लागत पर लेकिन बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, जोखिमों के खिलाफ बीमा, और कवरेज के लिए, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट किया जाएगा, बाहर निकालेगा और बनाए रखेगा।
- सी. ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- डी. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ई. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी - जहां सेवा की



जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।

एफ. ठेकेदार अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता

ए. यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्व्यावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

बी. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर एक सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया गया, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया था। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने के लिए कहा जाना चाहिए:

1. संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की



लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:

- a. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - b. पैन
 - c. ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां
 - d. निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित इसी तरह के अधिनियम/नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)
2. पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
3. पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियां, और सेवाओं का विवरण चल रहा है या संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध है; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।
4. इस अनुबंध के लिए कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण की लाइन तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।
5. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियां)।
6. बैंक खाते का विवरण और रद्द किए गए चेक की प्रति।
7. बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार।
8. किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्षों, और विवादित राशि के बारे में जानकारी और
9. सेवाओं के उप-अनुबंध घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव अनुबंध मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक की राशि है।



जांच/ मूल्यांकन

दो भागों यानी "कार्य का दायरा और वाणिज्यिक स्थिति" पर भाग । और "मूल्य बोली" पर भाग ॥ वाले निविदाएं ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी जिसमें

- i. निविदाएं, जिसमें दो भाग शामिल हैं, निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। भाग । में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें शामिल हैं:
 - अ. ₹3,22,000/- (तीन लाख बाईस हजार रुपये मात्र) के लिए एनईएफटी के रूप में बयाना जमा राशि। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
 - आ. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटर्नी/प्राधिकार।
 - इ. निविदा के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज।
 - ई. जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूकता नहीं करता है तथा कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।
 - उ. किसी भी मूल्य को इंगित किए बिना मूल्य विभाजन अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करने के लिए नकाबपोश सांकेतिक मूल्य बोली।
 - ऊ. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
- ii. भाग-॥ में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा की मूल्य बोली को शामिल किया गया है जिसमें मूल्य का विस्तृत विवरण (प्रारूप के अनुसार) शामिल है। भाग ॥ में किसी अन्य बाड़े की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग ॥ में पाए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- iii. निविदाओं का भाग । निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चुनते हैं।
- iv. निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं



बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उनकी उपेक्षा की जाएगी।

- v. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्य/कार्य/गतिविधियों, जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, भारत सरकार के टकसाल और बैंक परिसरों का दौरा करें और बोलियां जमा करने से पहले साइट की स्थितियों से परिचित हों।
- vi. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) जो निविदाओं के भाग-I की संवीक्षा के बाद पात्र पाए जाते हैं, को बाद के कार्य दिवस पर खोला जाएगा।
- vii. बैंक उस निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति काफी हद तक उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिसने एल 1 आने के लिए अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है।
- viii. कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए के।



खंड III

सामान्य नियम और शर्तें

A. निविदा/बोली वाले दस्तावेज

भाग I: (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

- i) निविदा/बोली का प्रपत्र
- ii) बयाना धन जमा (ईएमडी) के भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य
- iii) विधिवत पूर्ण चेकलिस्ट (अनुसूची ए के अनुसार)
- iv) अनुलग्नक-III
- v) विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज जिसमें खंड I से खंड IV शामिल है
- vi) अनुसूची एफ के लिए अनुसूची ए को सुस्त रूप से भरा हुआ।
- vii) संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:
 - अ. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - आ. बरतन
 - इ. ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां
- viii) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
- ix) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियां, और सेवाओं का विवरण चल रहा है या संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध है; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।
- x) इस अनुबंध के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण की लाइन तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।



- xi) पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियां)।
- xii) बैंक खाते का विवरण।
- xiii) बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार।
- xiv) किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्षों, और विवादित राशि के बारे में जानकारी और
- xv) सेवाओं के उप-अनुबंध घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव अनुबंध मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक की राशि है।

भाग II: (मूल्य बोली): विधिवत भरा हुआ और एमएसटीसी ईकॉमर्स वेबसाइट पर जमा किया गया

B. स्पष्टीकरण और प्री-बिड मीटिंग

- i) यदि बोलीदाताओं को सामान्य शर्तों के किसी भी हिस्से के अर्थ, या विशेष शर्तों या कार्य के दायरे या निविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में कोई संदेह है, तो वह बोली-पूर्व बैठक की निर्धारित तारीख से पहले, अच्छे समय पर, उसका विवरण प्रस्तुत करेगा और उन्हें आरबीआई को प्रस्तुत करेगा, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में संबोधित किया गया है, ताकि बोली पूर्व बैठक के दौरान इस तरह की शंकाओं को आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके और सभी बोलीदाताओं को उचित समय पर अवगत कराया जा सके। एक बार निविदा जमा हो जाने के बाद, इस तरह के प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में मामले को निविदा शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा।
- ii) कार्य के दायरे, अन्य विवरणों को समझाने और बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे/प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए, निविदा की अनुसूची (एसओटी) में निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर एक पूर्व-बोली बैठक की व्यवस्था की जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा का अवलोकन करें और साइट पर जाएं और किसी भी मामले को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, पूर्व-बोली बैठक के लिए निर्धारित तारीख के पिछले कार्य दिवस पर शाम 5:00 बजे तक आरबीआई को प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता कार्य के लिए निविदा देते समय किसी शर्त को शामिल



करना चाहता है, तो उसे बोली-पूर्व बैठक से पहले उसे प्रस्तुत करना होगा ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी जांच/विचार कर सके। सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में बोली-पूर्व बैठक में भाग लें। किसी भी विचलन / शर्त के साथ प्राप्त कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी और संदेह/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

C. निविदा दस्तावेज में संशोधन

- i) निविदा/बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है।
- ii) संशोधन आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- iii) बोलीदाताओं को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर जाएं www.rbi.org.in यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संशोधन, यदि कोई हो, के बारे में जानते हैं। जारी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, अनुबंध दस्तावेज का हिस्सा होगा।
- iv) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकाधिकार से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

D. बोली तैयार करना और बोली लगाने की लागत

बोलीदाता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकता है और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कर सकता है।

E. बयाना धन जमा (EMD)

- i) निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत ईएमडी सभी बोलीदाताओं



से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाएगा।

- ii) बोलीदाताओं को निविदा के साथ एसओटी (निविदा की अनुसूची) में निर्दिष्ट राशि के लिए बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- iii) ईएमडी को एनईएफटी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iv) बयाना राशि केवल सफल बोलीदाताओं से ही एकत्र की जाएगी।
- v) किसी भी परिस्थिति में, ईएमडी को बैंक की सावधि जमा रसीद या बीमा गारंटी या चेक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vi) किसी भी फर्म (सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित) को निष्पादन बैंक गारंटी और बयाना धन जमा (ईएमडी) जमा करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को गैर-वास्तविक माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

F. निष्पादन बैंक गारंटी: सफल निविदाकर्ता द्वारा उसके निविदा के साथ भुगतान की गई संविदा के 5 प्रतिशत के बराबर राशि अर्थात ₹ 8,05,000/- (आठ लाख पाँच हजार रुपये मात्र) के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी (**पीबीजी**) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुबंध के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

G. बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी

- i) प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा जमा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों और अन्य नियमों और शर्तों आदि के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- ii) बोलीदाता निविदा के भाग-I के साथ, उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक मुख्तारनामा प्रस्तुत करेंगे और विधिवत नोटरीकृत होगा, बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, उसे बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, उसमें सुधार/संशोधन करने और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत करने और संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोफार्म यहां संलग्न फॉर्म में होगा।



H. बोलियों में संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी

- i) निविदा जमा करने की नियत तारीख और समय के बाद प्रस्तुत बोली में कोई संशोधन या प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii) बोलीदाता अपनी प्रस्तुत बोली को वापस ले सकता है, बशर्ते कि बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निकासी की लिखित सूचना प्राप्त हो गई हो। यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो वह सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नियत तारीख के भीतर एक नई बोली प्रस्तुत करेगा।
- iii) निकासी नोटिस की केवल एक प्रति तैयार की जाएगी, और नोटिस के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। नोटिस को विधिवत "वापसी" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

I. बोली की देय तिथि

भारतीय रिज़र्व बैंक, असाधारण परिस्थितियों में, और अपने विवेकाधिकार पर, बोली की नियत तारीख को बढ़ा सकता है।

J. बोलियां खोलना

- i) अपलोड किए गए निविदा भाग I, EMD, तकनीकी विवरण, आदि, जिसे निविदा का भाग I कहा जाता है, समय और तारीख पर, जैसा कि एसओटी में निर्दिष्ट है, कार्यालय में, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या उसके/उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।
- ii) निविदा दस्तावेजों के भाग-I की जांच के बाद योग्य पाए जाने वाले बोलीदाताओं की मूल्य बोली, जिसमें विधिवत भरी हुई निविदा-भाग-II शामिल है, केवल बाद की तारीख को योग्य बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जिसे सभी योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

K. निविदा की स्वीकृति और कार्य का पुरस्कार



- i) भारतीय रिजर्व बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता अनुबंध को निष्पादित करने/निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा और उसके एक हफ्ते के भीतर, सफल बोलीदाता करार के मसौदा लेखों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। यदि बोलीदाता निविदा स्वीकार करने के बाद कार्य करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में किसी भी कार्य को निष्पादित करने से पांच साल तक प्रतिबंधित/अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ii) समझौते के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टांप पेपर की लागत सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

L. किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

M. जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का प्रावधान: जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से डाला गया, उसके आगे जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर उपक्रम/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे विधिवत सील किया गया हो और अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना राशि जमा/निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से भी रोक सकता है।

N. निविदाकर्ता को यह घोषित करना होगा कि क्या उसका रिश्तेदार बैंक में कार्यरत है और यदि हां, तो



किस स्थिति में है। यदि बैंक में कोई रिश्तेदार कार्यरत नहीं है, तो निविदाकर्ता को उस आशय की घोषणा देनी चाहिए।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



सेक्शन -IV टेंडर

फॉर्म

(नोट - ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरकर अपलोड किया जाना है) भाग- I:

तकनीकी बोली

एक. निविदाकर्ता का विवरण

i.	निविदाकर्ता का नाम			
द्वितीय।	क्या निविदाकर्ता एक/एक व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/(मालिकाना चिंता) है			
iii.	व्यक्ति/स्वामित्व के मामले में जन्म तिथि			
इन्ट्रावीनस।	साझेदारी/एलएलपी/कंपनी के गठन/निगमन की तिथि। (स्व-सत्यापित वृत्तचित्र प्रस्तुत करें साक्ष्य जैसे ज्ञापन/एसोसिएशन के लेख, साझेदारी विलेख आदि)			
बहुत।	संगठन के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम (दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करें)			
vi.	पता (पते का प्रमाण जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल, आदि)			
vii.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	ऑफिस	रिहायश	मोबाइल
आठवीं।	ईमेल			
नौ।	पैन नंबर			



x.	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन	
xi.	व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण	
xii.	वेबसाइट, यदि कोई हो	
xiii.	अनुबंध को निष्पादित करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी)	
xiv.	क्या राष्ट्रीय परमिट धारण कर रहे हैं - यदि हां, दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति जमा करें	
xv.	इसी तरह के व्यवसाय में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार लाख रुपये में: (पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें)	2024-25: (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) 2023-24: (आकलन वर्ष 2024-25) 2022-23: (मूल्यांकन वर्ष 2023-24)

दो. बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	
2.	बैंक शाखा का पता	
3.	आईएफएससी कोड	
4.	बैंक खाते का प्रकार और खाता संख्या	
5.	चूक का विवरण, यदि कोई हो	



तीन.

ईएमडी का विवरण

राशि रु. _____

एनईएफटी संदर्भ No. _____ तिथि _____

अनुलग्नक - 1 के साथ आरबीआई को ईएमडी जमा करने की तिथि: _____

चार. क्या मजदूरों/पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/नहीं

पाँच. (क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा निविदाकर्ता को कभी काली सूची में डाला गया है? - हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने या काली सूची में डालने से रोक दिया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।)

(आ) क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है? - हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधन और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (_____)

(फर्म/कंपनी के रबर स्टैम्प/मुहर के साथ)



निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण (एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर भरना, हस्ताक्षरित और अपलोड किया जाना है)

अनुसूची ए
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखें

सी निय र। नहीं ।	या क्रिस्म	बोलीदाता की पुष्टि
1.	विधिवत हस्ताक्षरित निविदा भाग- I (खंड I से IV) और भाग- II	
2.	विधिवत भरी हुई अनुसूची ए, बी, सी, डी और ई	
3.	भुगतान किए गए ईमडी के दस्तावेजी साक्ष्य	
4.	पैन की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (अनिवार्य) और टैन (यदि लागू हो)	
5.	जीएसटी की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी पंजीकरण	
6.	बैंक स्टेटमेंट/स्व-सत्यापित फोटोकॉपी पास बुक का फ्रंट पेज	
7.	पॉवर ऑफ अटॉर्नी	
8.	अनुलग्नक – III	
9.	क्या आवेदक का कोई रिश्तेदार रिज़र्व बैंक में कार्यरत है/है या नहीं? भारत?	हाँ/नहीं
10.	पिछले 3 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वर्षों	
11.	ग्राहक प्रमाण पत्र	
12.	बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य दर्शाता है नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।	



13.	फर्म के गठन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें मालिक/भागीदारों/निदेशकों का विवरण शामिल है, मामला हो सकता है।	
14.	निगमन के प्रमाणन की प्रति / कंपनी के पंजीकरण का प्रमाणन।	
15.	जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूकता नहीं करता है और कोई आपराधिक मामला नहीं है कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ।	
16.	कोलकाता के महानगरीय क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ।	
17.	पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट।	
18.	बैंकर के रद्द किए गए चेक की प्रति।	
19.	लाइसेंस संख्या की प्रति (धारा 12 (1) के तहत (क) क्या यह सच है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970)	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग- । में अयोग्य माना जाएगा।



अनुसूची बी

संगठनात्मक विवरण

निविदाकर्ता का नाम				
चाहे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित कंपनी हो				
साझेदारी के गठन को तोथे / लिमिटेड कंपनी				
डाक का पता	स्थानीय पता		स्थायी/पंजीकृत कायोलिय का पता	
फिन कोड				
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)	ऑफेस	रिहायश	फैक्स	मोबाइल
ई-मेल				

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



अनुसूची सी

पंजीकरण विवरण

क्रम नंबर	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	इनकम टैक्स – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		
5	पीएफ/ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन*) केंद्रीय नियम, 1971 और किसी अन्य कानूनी प्रावधान के प्रावधान आपकी फर्म पर लागू होते हैं?		
8	क्या आपके पास ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970/71 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस है, यदि हां, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। (संलग्न किए जाने वाले लाइसेंस की एक प्रति)		
9	ईएसआईसी का पंजीकरण विवरण (ए द प्रतिलिपि पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)		

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



अनुसूची डी

ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में इसी तरह का काम किया गया)

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
6.	ठेका देने की तिथि			
7.	ग्राहक से प्रमाणपत्र			

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



अनुसूची ई

बैंकरों का विवरण

सीनियर। नहीं।	विवरण	विवरण
1.	बैंक शाखा का नाम और पता	
2.	व्यक्ति से संपर्क करें	
3.	ईमेल आईडी	
4.	टेलीफोन का नंबर	
5.	फैक्स नंबर	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



अनुलग्नक ।

ई-भुगतान को प्रभावित करने के लिए एनईएफटी विवरण

संस्थान का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता पता (पूर्ण में): 15,

नेताजी सुभाष रोड, आरबीआई कोलकाता

एक.	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है)	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता
दो.	खाता संख्या	186003001
तीन.	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	वर्तमान
चार.	पैन नंबर	AAIFR5286M
पाँच.	बैंक का नाम	आरबीआई, कोलकाता
छः.	शाखा का नाम	आरबीआई, कोलकाता
सात.	बैंक का पता	आरबीआई, कोलकाता
आठ.	एनईएफटी/आईएफएस कोड	RBISOKLPA01 (कोड में 0 दर्शाता है शून्य)
नौ.	खाते का नाम	एनईएफटी आवक
दस.	जीएसटीआईएन	19AAIFR5286M1ZD
ग्यारह	कथन जिसका उपयोग किया जा सकता है भुगतान शुरू करते समय	मज़दूर के लिए IDK टेंडर



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय
रिज़र्व बैंक का निर्गम
विभाग, कोलकाता क्षेत्रीय
कार्यालय, कोलकाता-
700001
प्रिय महोदय

कार्य का नाम: सिक्कों की थैलियों और नोट बक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क

और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज

हम..... (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का
पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री का गठन, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं।

..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और
आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और
..... के पद पर है हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम
पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को करने के लिए जो कैप्षन वाली परियोजना
के लिए हमारी बोली के संबंध में या उसके आकस्मिक हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना
और जमा करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल
है, जो आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और आम तौर पर उक्त
परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ काम करना।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी
कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए
गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई
हैं।

श्री/सुश्री के हस्ताक्षर नीचे सत्यापित है:

बोलीदाता के नाम पर

हस्ताक्षर/(एस)

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

नोट: पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पावर
ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।



अनुलग्नक 'III'

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा मेरे

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व

बैंक कोलकाता

कार्य का नाम: सिक्कों की थैलियों और नोट बक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज

मैं/हम _____ (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) की विषय-वस्तु को पढ़ और समझ लिया है F.No 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 और इसके बाद के आदेश/संशोधन सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक ऐसे देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जारी किए गए हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि _____ (बोलीदाता का नाम)

- i. क्या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है, या
- iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइक आउट)



3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि _____ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है। _____ (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-अनुबंध नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार करने/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना धन जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

स्टाम्प के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम तिथि:

स्थान:

समझौते के मसौदा लेख
(हस्ताक्षर के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में सिक्के की थैलियों और नोटबॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति - 01.04.2026 से 31.03.2028

2026 के _____ इस दिन कोलकाता में किया गया समझौता 1 अप्रैल 2026 से भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच प्रभावी होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक कॉर्पोरेट निकाय है और जिसका कार्यालय 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 (इसके बाद "भारतीय रिज़र्व बैंक"/"बैंक" के रूप में संदर्भित) में है, जो अपने महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी के माध्यम से कार्य कर रहा है। निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक" के रूप में संदर्भित, जिसकी अभिव्यक्ति में कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे),

और

, इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें अन्य भाग के उसके कानूनी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी) शामिल होंगे। जबकि ठेकेदार ने आरबीआई, कोलकाता/भारत सरकार टक्साल, कोलकाता में सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए दरों का उल्लेख किया है।

और, जबकि, क्षेत्रीय निदेशक/सीजीएम-आई-सी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता ने ऐसी दरों को स्वीकार कर लिया है और इस करार में प्रवेश करने के लिए पक्षकारों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की गई है।

अब यह पारस्परिक रूप से सहमत है और इस प्रकार घोषित किया गया है:

एक.

१. यह समझौता 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो साल की अवधि के लिए प्रभावी और वैध है। करार को बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, नियम और

शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि संविदात्मक नियमों और शर्तों का संतोषजनक प्रदर्शन हो।

२. जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो अनुबंध के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।
३. यदि ०१ अप्रैल, २०२८ से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नए अनुबंध को किसी भी कारण से अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो ठेकेदार को इस समझौते की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक की अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है।
४. यह करार/संविदा दर संविदा के स्वरूप में है। बैंक अनुबंध के तहत न तो किसी विशिष्ट मात्रा में नौकरी का वादा करता है और न ही आश्वासन देता है।

दो.

१. अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए उक्त ठेकेदार ने पूरे अनुबंध अवधि के लिए वैध बैंक के पास पीबीजी के रूप में ₹ 8,05,000/- (**केवल आठ लाख पाँच हजार रुपये**) की राशि जमा की है, जो महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा किए गए नुकसान या क्षति के आधार पर पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। बैंक के क्षेत्रीय निदेशक/सीजीएम-आई-सी के परामर्श से। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
२. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पूरी अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए होगी और बैंक को होने वाली या होने वाली किसी भी हानि या क्षति के खिलाफ भी होगी। यदि अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।
३. अनुबंध की अवधि पूरी होने के ३ महीने के बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और किसी भी संबंधित एजेंसी या ठेकेदारों के कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होगी।

तीन. **ठेकेदार के कर्तव्य:**

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति

करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

१. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी (ओं) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने से बारह घंटे के भीतर लोडिंग के लिए आवश्यक होने के रूप में कई सक्षम मजदूर / मजदूरों की आपूर्ति करेगा, नोटबॉक्स/सिक्का बैग को उतारना, ले जाना, तौलना और ढेर करना और निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में कार्य की विविध आकस्मिक मदों के लिए भी, जैसा कि नोटिस प्रपत्र में या स्थानों पर और प्रत्येक नोटिस में निर्दिष्ट समय पर किया जाए।
२. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य व्यावसायिक घंटों या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क्रान्ति/प्रावधान या भारत सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना से परे काम करने की आवश्यकता हो।
३. महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता कार्यालय द्वारा प्रमाणित तत्काल मामलों में, न्यूनतम बारह घंटे के नोटिस के बदले में तीन घंटे के नोटिस के साथ एक मांग ठेकेदार द्वारा तदनुसार अनुपालन किया जाएगा। अत्यावश्यक अवसरों/मामलों में ठेकेदार को तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करना होगा। ऐसी किसी भी मांग को महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा प्रतिमान किया जा सकता है।
४. इस तरह के काउंटर की सूचना देने पर कार्यालय या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा आपूर्ति के लिए निर्धारित घंटे से कम से कम तीन घंटे पहले नहीं और ठेकेदार उसके संबंध में पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा। किसी भी अवसर/मामले के तत्काल होने के संबंध में निर्णय बैंक के पास होगा और यह इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस तरह के नोटिस को सूचित किया है और इसे तत्काल के रूप में पहचाना है। ठेकेदार इसका अनुपालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। सिक्कों के थैलों और नोट बक्से की लोडिंग और अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र यानी सुरक्षा-यार्ड में या पुलिस एस्कॉर्ट की उपस्थिति में की जाएगी।

५. ठेकेदार अनुबंध को आगे नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है।
६. ठेकेदार किसी भी दोष या नुकसान के कारण बैंक को किसी भी नुकसान या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा, जो कि ठेकेदार द्वारा मज़दरों की अक्षमता/गतिविधि या अपर्याप्त मज़दरों की तैनाती के कारण हुआ है या किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या वजन, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, कार्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ले जाने और वितरित करने में देरी के कारण या उसकी ओर से बेर्इमानी या कपटपूर्ण आचरण के कारण हुआ है या ठेकेदार द्वारा लगाए गए मज़दूर या अन्य कर्मियों की ओर से।
७. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी मजदूर की सेवाएं न लेने का निर्देश दे जो उपरोक्त कार्यों को पूरा करने में अक्षम और/या लापरवाह हो। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को बंद करने का निर्देश दे जो बैंक में उपरोक्त कार्यों को करते समय या अन्यथा किसी भी बेर्इमानी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने पर, ठेकेदार बैंक में उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को तुरंत बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के गैर-अनुपालन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगा सकता है। निरंतर गैर-अनुपालन या बार-बार पुनरावृत्ति के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।
८. ठेकेदार अनुबंध के संबंध में उसके द्वारा लगाए गए श्रमिकों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर या इसी तरह की प्रकृति का कोई अन्य कवरेज लेगा जैसे ईएसआई, और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जीवित रहे। महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग को ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए उसका सत्यापन, जांच या जांच करने का अधिकार होगा। यदि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग यह निर्धारित करता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए कर्मचारी / महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-

प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा ऐसा न करने पर बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों की वसूली ठेकेदार से करेगा।

९. ठेकेदार एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें मजदूर वर्ग, पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम शामिल होंगे, जो इस समझौते के विषय में कार्य करने से जुड़े होंगे, अनुबंध देने के संबंध में बैंक से पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद और उसके बाद हर महीने बैंक में सगाई की अवधि का संकेत देते हुए और क्या पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र वैध हैं। ठेकेदार उपरोक्त निर्दिष्ट मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के फोटोग्राफ, आवासीय पते, स्थायी पते और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अनुबंध शुरू होने से पहले पुलिस विभाग द्वारा सभी मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ऐसे श्रमिक/पर्यवेक्षक ही कार्यरत हों जिनके पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान मान्य हों।
१०. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/गतिविधियां उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कर्मकार की तरह की जाती हैं। नोटबॉक्स, सिक्का बैग या बैंक की किसी अन्य संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा कार्य/गतिविधियां की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर क्षतिग्रस्त वस्तुओं की लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
११. इस समझौते के तहत कार्य के निर्वहन के लिए नियोजित ठेका श्रमिकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति को चिह्नित करने के लिए रिकॉर्ड/मस्टर का रखरखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और इस तरह के रिकॉर्ड/मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में होंगे।
१२. ठेकेदार इस अनुबंध के दौरान हर समय ठेका श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा और छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करेगा। ठेकेदार उन सभी मजदूरों और अन्य कर्मियों को फोटो पहचान पत्र भी जारी करेगा जो इस समझौते के विषय के कार्य के निर्वहन से जुड़े हो सकते हैं।

चार. भुगतान और कर:

सभी प्रकार से बिलों को जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

१. ठेकेदार को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा।
२. ठेकेदार को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा। उद्धृत कीमतों में सभी कर (लेकिन **जीएसटी को छोड़कर**), शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर, या कोई अन्य कर शामिल होंगे, जो मौजूदा दरों पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हैं। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
३. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
४. अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी से काट लिया जाएगा या ठेकेदार को देय होने वाली अन्य देय राशि दी जाएगी। पीबीजी को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है।
५. इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में कि क्या यहां कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी-अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसी देनदारियां उत्पन्न होने की स्थिति में, क्षति या हानि की राशि के बारे में उक्त क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय भी अंतिम और बाध्यकारी होगा।

पाँच. समाप्ति/जुर्माना:

१. यह अनुबंध यहां पहले उल्लिखित अवधि के भीतर, इसके दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

२. लगातार या निरंतर देरी के मामले में या इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान पर ठेकेदार के किसी भी उल्लंघन के मामले में, यह भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी द्वारा तुरंत निर्धारित किया जा सकता है कि क्या इस तरह के विलंब या उल्लंघन के लिए पहले प्रदान किया गया कोई जुर्माना लगाया गया है या नहीं।
३. मजदूर / मजदूर की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में ठेकेदार द्वारा किसी भी देरी या अनुबंध के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा माना जाता है कि जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी डीजीएम-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/सीजीएम (ओ-आई-सी) के परामर्श से जुर्माना लगा सकते हैं ठेकेदार पर प्रति इंस्टेंस 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र)।
४. उन सभी मामलों में जहां ठेकेदार पर कुल अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया है, दो साल की प्रारंभिक अवधि से आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

छः.

१. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रदान किए गए सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, कोलकाता के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, जैसा कि धारा 21 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के साथ पठित है और उपर्युक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करता है। यदि लाइसेंस लागू नहीं होता है, तो ठेकेदार को एक हलफनामा उपलब्ध कराना होगा, जिसमें उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण होगा।
२. यदि ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 या लागू किसी अन्य कानून के तहत यथासंभव, लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसा न करने पर वह ही इसे सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और ठेकेदार द्वारा किसी भी तरह से मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

3. इसके अलावा, उन्हें अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। एजेंसी/ठेकेदार को उस कार्य को सौंपने से पहले लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है जो वह वास्तव में सभी श्रमिकों को उस विशेष कार्य/कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किए जाने वाले सभी विवरणों के सभी श्रमिकों को उस दर पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए करता है जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम), 1970 के तहत न्यूनतम मजदूरी के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है और प्रधान नियोक्ता को भी रखना होगा इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की गई है।

सात. कानून का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

- x. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात्, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए
- xi. ठेकेदार अन्य सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान करने के अलावा केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अपने तैनात कर्मचारियों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।
- xii. कामगार/ श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों/श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान

अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई अधिनियम, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, ठेकेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए पीएफ योगदान करने के लिए एक वैध पीएफ खाता होगा। किसी भी सांविधिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसे बिल से काट लिया जाएगा।

- xiii. ठेकेदार प्रचलित कानून के अनुसार अद्यतन सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखेगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- xiv. ठेकेदार बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।
- xv. मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के खिलाफ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते को क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान का संकेत देने वाले बैंक विवरण जमा किए जा सकते हैं।
- xvi. प्रधान नियोक्ता यानी बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों को उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो लागू किसी भी कानून के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक या चूक करने के लिए, ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में ठेकेदार से वसूल की जा सकती है।
- xvii. ठेकेदार किसी भी मजदूर या अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के भीतर अपने

कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

- xviii. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- xix. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
- xx. ठेकेदार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, हजने या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार केवल इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।
- xxi. ठेकेदार को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जो इस निविदा के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित हैं। भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन भुगतानों को करने के लिए लिखित रिकॉर्ड बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे जब भी इसके सत्यापन के लिए कहा जाएगा। मजदूरों को कम या न भुगतान किए जाने से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।

आठ. गैर-प्रकटीकरण खंडः

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर

समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हजारी का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

नौ. कामगार सुरक्षा और बीमा:

१. ठेकेदार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।
२. ठेकेदार अनुबंध के संबंध में उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर लेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जीवित रहे। महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग को ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए उसका सत्यापन, जांच या जांच करने का अधिकार होगा। यदि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग यह निर्धारित करता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए कर्मचारियों/श्रमिकों को अनुबंध कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिम के संबंध में उजागर किया जाता है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि के साथ-साथ मौजूदा बीमा पॉलिसी में कवर नहीं किए गए जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा ताकि इस प्रकार निर्धारित अपर्याप्तता को पूरा किया जा सके। महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा ऐसा न करने पर बैंक अतिरिक्त राशि

और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों की वसूली ठेकेदार से करेगा।

३. ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
४. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
५. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी - जहां सेवा की जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।
६. ठेकेदार अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
७. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

दस. विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता:

१. यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्व्यावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।
२. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा।

३. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवादों को कोलकाता में उत्पन्न माना जाएगा और केवल कोलकाता में न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

न्यारह. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एक समय में कम से कम 19 श्रमिक या बैंक द्वारा लिखित रूप में सूचित किए गए किसी भी अन्य संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराए।

बारह. क्षति या हानि की राशि और लगाए गए किसी भी जुमानि को ठेकेदारों को देय किसी भी राशि से समय-समय पर काटा जा सकता है और/या अन्यथा उससे वसूल किया जा सकता है।

तेरह. ठेकेदार पेटेंट प्रेषण बक्से के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रेषण बक्से को भी ले जाएंगे और वितरित करेंगे, जो अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए स्थान पर से और वहां से आते हैं और उनमें दी गई दरों पर भुगतान किया जाएगा।

चौदह. इस समझौते के प्रावधान और संलग्न अनुसूची में दिखाई गई दरें 01.04.2026 से प्रभावी हैं।

पंद्रह. यह समझौता डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, मूल बैंक के पास रखा जाएगा और ठेकेदारों द्वारा डुप्लिकेट रखा जाएगा। स्टांप शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

सोलह. दोनों पक्ष लागू करों का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो समय-समय पर किसी भी पक्ष पर लागू होते हैं। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों को सोत पर काटा जाएगा और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

सत्रह. दो संस्करणों के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रमाणित संस्करण के रूप में माना जाएगा और हिंदी संस्करण पर प्रबल होगा।

अट्ठारह. इस समझौते के खंडों को निविदा दस्तावेज के साथ जोड़ा जाना चाहिए और ठेकेदार को किसी भी दायित्व के कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा, केवल इसलिए कि इस समझौते में एक विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्नीस. वेंडर/ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

बीस. इस समझौते के प्रावधान और संलग्न अनुसूची में दिखाई गई दरें 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हैं।

गवाह में जिसके बारे में पार्टीयों ने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन उपहारों पर और इसके एक डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर चिपका दी है, दिन और वर्ष पहले यहां ऊपर लिखा गया है।

ठेकेदार के लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के लिए

दस्तखत देखिए।

दस्तखत देखिए।

नामः

नाम और पदनामः

गवाहः

गवाहः

1.

1.

(हस्ताक्षर और नाम)

(हस्ताक्षर और नाम)

2.

2.

(हस्ताक्षर और नाम)

(हस्ताक्षर और नाम)

ईएमडी के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह गारंटी पत्र, दिनांक_तिथि, सन् में, (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय_(स्थान) में है तथा जिसका एक स्थानीय कार्यालय (स्थान) में है (जिसे इसमें "सुरक्षाकर्ता" कहा गया है), एवं भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा गठित निगम, जिसका मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में है (जिसे इसमें "बैंक" कहा गया है), के मध्य बनाया गया है।

जबकि, (टेंडरकर्ता का नाम, जिसे आगे "टेंडरकर्ता" कहा जाएगा) जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय पर है, बैंक को ईमानदारी राशि के रूप में भारतीय रूपये (केवल रु.मात्र) जमा करने का बाध्य है, जो बैंक के लिए सिक्का बैग एवं नोट बॉक्सों को संभालने हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं कार्यक्षम श्रमिकों के लिए टेंडर एवं संलग्न शर्तों से संबंधित है।

जबकि, टेंडरकर्ता ने टेंडर आमंत्रण के निर्देशों के_अनुभाग II, खंड_संख्या के अनुसार ईमानदारी राशि के नकद जमा के स्थान पर तिथि तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का वचन दिया है।

अतः इस गवाही पत्र द्वारा साक्षित है कि:

1. सुरक्षाकर्ता, टेंडरकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत उपरोक्त टेंडर के बदले में, इस गारंटी पत्र को प्रस्तुत करने पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बिना किसी आपत्ति के बैंक को उक्त राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है, जो टेंडरकर्ता द्वारा अपने टेंडर से संबंधित ईमानदारी राशि के रूप में बैंक को जमा करने का बाध्य है।
2. यह गारंटी टेंडरकर्ता की किसी भी अवैधता या अनियमितता, या बैंक, टेंडरकर्ता या सुरक्षाकर्ता के विघटन या संविधान में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
3. बैंक, इस गारंटी के तहत कोई दावा करने का अधिकारी होगा यदि टेंडरकर्ता, अपना टेंडर प्रस्तुत करने के पश्चात्, अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या शर्तों को बैंक द्वारा स्वीकार्य नहीं होने वाले ढंग से संशोधित करता है या बैंक द्वारा टेंडरकर्ता को कार्य आदेश देने के निर्णय के बाद कार्य स्वीकार करने से अस्वीकृति व्यक्त करता है। बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. सुरक्षाकर्ता, इस गारंटी को इसकी वैधता अवधि के दौरान बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना निरस्त नहीं कर सकता।
5. उपरोक्त के बावजूद, सुरक्षाकर्ता की इस गारंटी के तहत दायित्व केवल रु.तक सीमित है।
6. यह गारंटी तक कार्यशील रहेगी तथा बैंक द्वारा सुरक्षाकर्ता को सूचना देने पर समाप्त होकर अप्रभावी हो जाएगी, जिसके उपरांत यह गारंटी समाप्त मानी जाएगी।
7. सुरक्षाकर्ता, टेंडरकर्ता एवं बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य किसी विवाद के होने या उत्पन्न होने के बावजूद, बैंक द्वारा जारी मांग सूचना के अनुसार भुगतान करेगा।
8. बैंक द्वारा टेंडर की शर्तों को लागू करने में किसी भी देरी, कार्य या अनुपस्थिति, या टेंडरकर्ता के प्रति किसी भी अनुग्रह दिखाने से सुरक्षाकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होगा। सुरक्षाकर्ता का दायित्व केवल बैंक द्वारा सूचना देने पर समाप्त होगा।

9. इस गारंटी के तहत सुरक्षाकर्ता से लिखित रूप में मांग या दावा_तिथि तक न किए जाने पर, सुरक्षाकर्ता इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
10. सुरक्षाकर्ता के पास अपने संविधान एवं अनुच्छेदों के अंतर्गत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है, तथा इस गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सुरक्षाकर्ता द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र के अंतर्गत आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं।

इस प्रकार हस्ताक्षरित एवं सौंपा गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तथा इसके नाम पर

(बैंकर का नाम एवं मुहर) की ओर से तथा इसके नाम पर

शाखा प्रबंधक (बैंकर का शाखा प्रबंधक)



भारतीय रिज़र्व बैंक /
निर्गम विभाग / Issue Department
कोलकाता /

सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की
आपूर्ति के लिए ई-निविदा

ई-टेंडर सं. RBI/Kolkata Regional Office/Issue/2/25-26/ET/855

(भाग II)

(मूल्य बोली)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____



(निविदा फॉर्म का हिस्सा बनना)

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, कोलकाता

भाग- II: मूल्य बोली
(सभी करों सहित लेकिन जीएसटी को छोड़कर)

श्रम के लिए दर अनुसूची

(प्रति लकड़ी के बक्सा/स्टील बॉक्स/सिक्का बैग/सिक्का बोरी का शुल्क)

लोडिंग, अनलोडिंग, वजन, स्टैकिंग की प्रक्रिया का उल्लेख आमतौर पर कार्य अनुसूची में किया जाता है। इसमें लोडिंग/अनलोडिंग से लेकर वॉल्ट में स्टैकिंग तक वर्कफ्लो की कुल प्रक्रिया शामिल है और इसके विपरीत।

भाग- II- श्रम प्रभार

क्रम नंबरों	कार्यों को मद	वजन	प्रति बॉक्स दर (ध्यान दें)	प्रति सि क्का बैग दर
1	आरबीआई वाल्ट/आईजी मिंट वॉल्ट से पैकड नोट बॉक्स/स्टील ट्रंक या सिक्का बैग की हैंडलिंग और किसी भी रेलवे स्टेशन/शिपयार्ड (अर्थात् सियालदह स्टेशन, कोलकाता स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, शालीमार यार्ड स्टेशन, किडरपोर डॉक, एनएससीबी एयरपोर्ट आदि) में परिवहन जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग, वेटिंग, स्टैकिंग आदि शामिल हैं और इसके विपरीत	0.01 (सिक्का) 0.01 (टीप)		
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के सुरक्षा यार्ड, मुख्य कार्यालय परिसर या आईजी मिंट में कंटेनरों/ट्रकों में पैकड नोट बॉक्स/स्टील ट्रंक या सिक्का बैग की हैंडलिंग और इसके विपरीत प्रेषण या आवक प्रेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के सुरक्षा यार्ड, मुख्य कार्यालय परिसर या आईजी मिंट वॉल्ट से कंटेनरों/ट्रकों की हैंडलिंग और इसके विपरीत प्रेषण या आवक प्रेषण के लिए हैंडलिंग।	0.16(नोट) 0.72 (सिक्का)		
	विविध नौकरियां			
3	आईजी मिंट वॉल्ट/ओवरनाइट वॉल्ट या किसी अन्य वॉल्ट से नोट बॉक्स/स्टील ट्रंक/मिंट सीलबंद सिक्का बैग को फ्रेश नोट/चेस्ट नोट/कॉइन वॉल्ट/किसी भी वॉल्ट आदि में शिपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, अनस्टैकिंग, वेइंग आदि और इसके विपरीत फर्श पर होने पर ध्यान दिए बिना जो तिजोरी स्थित है।	0.015 (सिक्का) 0.015 (नोट)		
4	तिजोरी के अंदर जगह प्रबंधन के लिए नोट बॉक्स/स्टील ट्रंक/मिंट सीलबंद सिक्का बैग को स्थानांतरित करना	0.015 (नोट) 0.015 (सिक्का)		



5	सिक्का प्रेषण के लिए आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर की तिजोरी/आईजी मिंट वॉल्ट में सिक्के की थैलों/बोरियों की सिलाई, सीलिंग, मार्किंग और स्टैकिंग के लिए विविध श्रम शुल्क	(0.01)	(प्रति सिक्का बैग)
6	गाड़ियों के विलंब से चलने के लिए कोई शुल्क स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, आधे घंटे के बाद भी किसी भी स्थान पर काम शुरू करने में देरी के मामले में, वास्तविक कार्य शुरू होने तक प्रत्येक पूर्ण आधे घंटे के लिए प्रति मजदूर प्रति आधे घंटे के लिए निरोध शुल्क का भुगतान किया जाएगा।	(0.01)	
7	यदि जारी किए गए कार्य आदेश को दर्ज किए गए करार की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रतिनिर्धारित नहीं किया जाता है, तो कार्य आदेश को रद्द करने के लिए मुआवजा प्रभार जारी किया जाता है। (ख) यदि कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया हो तो वह निर्धारित स्थान और समय पर पहले से ही श्रमिक उपलब्ध करा चुका हो।	(0.01)	
8	एसबीएस इकाई से ब्रिकेट से भरे बोरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निकालना और बैगिंग, लिफिंग, शिपिंग, आरबीआई के गोदाम में भंडारण (सभी संचालन)	(0.01)	

एन.बी. पारंपरिक लकड़ी के बक्से (जिसमें 1,00,000 बैंक नोट होते हैं) के लिए शुल्क उद्धृत किया जाना चाहिए। चूंकि एक नालीदार बॉक्स का वजन पारंपरिक लकड़ी के बक्से के वजन का 40% (लगभग) है, इसलिए नालीदार लकड़ी के बक्से के लिए श्रम शुल्क को आनुपातिक आधार पर पारंपरिक लकड़ी के बक्से के लिए श्रम शुल्क का 40% माना जाएगा।

नोट:

(अ) ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त मदों के संबंध में शून्य राशि का उल्लेख न करें।

(आ) दरों में सभी कर शामिल होने चाहिए लेकिन जीएसटी को छोड़कर।

(इ) कीमतें केवल भारतीय रूपये में उद्धृत की जानी चाहिए।

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधन और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (_____)

(फर्म/कॉम्प की रबर स्टैम्प/सील के साथ)



खंड V

निषिद्ध प्रथाएं/निविदाएं अयोग्यता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियां

एक.

बैं

क के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार अनुबंध/सगाई की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

- (अ) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:
1. "भ्रष्ट अभ्यास" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना;
 2. "धोखाधड़ी अभ्यास" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;
 3. "जबरदस्ती अभ्यास" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना; तथा
 4. "मिलीभगत अभ्यास" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;
- (आ) पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।
- (इ) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;
- (ई) पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।



(3) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;

दो. निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी प्रचार से प्रक्रिया से अयोग्यता होगी। ऐसे निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

तीन. अ

पूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना बैंक द्वारा एकमुश्त और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

चार. य

ह एक ई-टेंडर है। डाक, फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

पाँच. नि

धर्रित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

छ.: नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

सात. स

शर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

आठ. नि

विदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।

नौ. वैकल्पिक प्रस्तावों/पूरा होने के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दस. निविदाकर्ता के हितों का टकराव नहीं होगा। नीचे उल्लिखित हितों के टकराव वाले सभी निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।



- अ. दो अलग-अलग अनुप्रयोगों में निविदाकारों में शेयरधारकों को नियंत्रित करने वाले समान होते हैं।
- आ. निविदाकर्ताओं (उनके कर्मियों सहित) जिनके आरबीआई कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों के साथ व्यावसायिक और परिवारिक संबंध हैं, जो निविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्हें अनुबंध नहीं दिया जाएगा।

रयारह.

स

फल निविदाकर्ता (ओं) द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार करने या अनुबंध को रद्द करने या किसी भी तरह से सेवा में व्यवधान पैदा करने की स्थिति में, इसकी वैधता के दौरान किसी भी समय, बैंक के पास पड़े ईएमडी/एसडी को जब्त कर लिया जाएगा/रद्द कर दिया जाएगा और निविदाकर्ता को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से काली सूची में डाल दिया जाएगा।